न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2400 दिनांक 03/11/2022

प्रार्थीगण :-
1.अर्जुनराम 2.बांकाराम पि. प्रहलादराम,
जाति जाट,
निवासी जाखड़ों की ढाणी,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.खेताराम 2.बांकाराम पि.नारणाराम
3.चुतराराम पुत्र प्रभूराम, जाति जाट,
निवासी जाखड़ों की ढाणी,
4.जोगाराम पुत्र अचलाराम,
जाति जाट,निवासी भोजारिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 71/2022 दिनांक : **03.11.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जाखडो की ढाणी के खेत खसरा सं. 326 रकबा 23.0023 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2401 to 2404 दिनांक 03/11/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण अर्जुनराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:44:34 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन